राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

जयपुर।

क्रमांक : एफ1(1)/यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी./पीएमयू/पद/2008-09/ 7907 दिनांक : 20-7-09

कार्यालय आदेश

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के अन्तर्गत आरयूआईडीपी द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्न कार्यालयों का उनके आगे अंकित पदों सहित सृजन किया जाता है। ये कार्यालय आरयूआईडीपी के कार्यालयों की भांति संचालित होंगें।

क्र. सं.	पद का नाम	कार्यालयों का नाम						
		खण्ड कार्यालय				उपखण्ड कार्यालय		
		पाली	झुन्झुनू	किशनगढ़	हनुमानगढ़	सरदारशहर	जालौर	सुमेरपुर
1	अधिशाषी अभियंता	1	1	1	1	-	-	-
2	सहायक अभियंता	2	2	2	2	1	1	1
3	लेखाकार	1	1	1	1	-	-	-
4	कनि. लेखाकार	-	-	-	-	1	1	1
5	कम्प्यूटर (मैन विद मशीन संविदा पर)	2	2	2	2	1	1	1
6	च.श्रे.क. (संविदा पर)	2	2	2	2	1	1	1

झुन्झुनू, किशनगढ़, हनुमानगढ़ एवं सरदारशहर के कार्यालयों में फिलहाल सहायक अभियंता - 1 एवं कम्प्यूटर मैन विद मशीन संविदा पर - 1 का सृजन किया जा रहा है।

उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार झुन्झुनू एवं हनुमानगढ़ में सम्पूर्ण स्टॉफ का सृजन इन शहरों में कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त तथा किशनगढ़ एवं हनुमानगढ़ में सम्पूर्ण स्टॉफ का सृजन अजमेर एवं बीकानेर के आरयूआईडीपी प्रथम चरण के कार्यालय समाप्त होने के बाद प्रभावी होगा।

सहायक अभियंता सरदारशहर अपनी रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता आरयूआईडीपी चूरू एवं सहायक अभियंता जालौर एवं सुमेरपुर अपनी रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता आरयूआईडीपी पाली को करेंगे।

उक्त खण्डीय/उपखण्डीय कार्यालयों का सृजन आरयूआईडीपी के कार्यालयों की भांति किया जाता है लेकिन इन पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित नगरीय निकाय से उनको मिलने वाली राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि में से उनकी सहमति से पुनर्भरण करेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 100902495 दिनांक 22.06.09 से प्राप्त सहमति से जारी किये जाते है।

उक्त कार्यालयों का व्यय निम्न बजट मद से प्राभार्य होगा:-

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता
(22) - छोटे एवं मध्यम कस्बों की शहरी आधारभूत विकास योजना (UIDSSMT)
12 - सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)

उप शासन सचिव